

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
(दिनांक 22/09/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 22/09/2025 को दोपहर 02.00 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23.09.2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)
2. श्री ए के भूषण, उप महानिदेशक, अपर कार्यालय विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीएलए, नई दिल्ली।
3. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
4. श्रीमती अलका मिश्रा, कर प्राप्ति अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिका, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) प्रमोद कुमार, स्टेनो-1 और (iii) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 09/09/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 09/09/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 09/09/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) राजेश्वरी एसेशियल्स प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

2.1 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री निशांत यादव अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री यादव ने बताया कि वे नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) स्थित अपनी प्रस्तावित इकाई में "प्राइम" ब्रांड नाम से 'स्वादिष्ट चबाने वाले तंबाकू' का निर्माण, पैकेजिंग और लेबलिंग करेंगे। इसके बाद कंपनी संपूर्ण तैयार उत्पाद की आपूर्ति मानक डिजाइन कारखाना (SDF) संख्या एच-03(बी), नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) स्थित आरके रिटेल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड को करेगी। इसके बाद आरके रिटेल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड अंतिम उत्पाद का निर्यात थाईलैंड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करेगा। उन्होंने आगे बताया कि उनका परिचालन 100% निर्यातमुखी होगा और वे घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) (डीटीए) में कोई बिक्री नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सभी पूंजीगत वस्तुओं के साथ-साथ कच्चा माल भी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) से खरीदा जाएगा।

1
B 20/10/25

2.2 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि आवेदन में कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं जिन्हें आवेदक द्वारा ठीक किया जाना आवश्यक है। अनुमोदन समिति ने तंबाकू उत्पादों के निर्माण हेतु लाइसेंस के बारे में पूछताछ की, जिस पर आवेदक ने उत्तर दिया कि वे लाइसेंस प्राप्त होते ही उसकी एक प्रति प्रस्तुत कर देंगे।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स राजेश्वरी एसोशियट्स प्राइवेट लिमिटेड के "स्वादिष्ट चबाने वाले तंबाकू (24039910) के निर्माण" के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया। यह इस शर्त के अधीन होगा कि इकाई तंबाकू उत्पादों के निर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही उत्पादन शुरू करेगी और निर्मित उत्पादों की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री की अनुमति नहीं होगी। आवेदक से अनुरोध किया गया कि वे अपने सभी कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के एचएस कोड, विनिर्माण प्रवाह चार्ट के साथ उपलब्ध कराएँ। अनुमोदन समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के विकास आयुक्त कार्यालय को उत्तर में विसंगतियों की जाँच करने और फाइल पर स्वीकृति पत्र (LOA) जारी करने हेतु अंतिम अनुमोदन पर विचार करने का अधिकार दिया।

(3) प्रतिबंधित एवं निषिद्ध वस्तुओं के निर्यात/आयात/घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) खरीद से संबंधित स्वीकृति पत्र (LOA) में उल्लिखित शर्तों की समीक्षा से संबंधित मामला।

3.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, परियोजना अनुभाग को मामले की अलग-अलग जाँच करने का निर्देश दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग में चल रही चर्चाओं के परिणामों की प्रतीक्षा की जाए और उन पर विचार किया जाए।

(4) गोपाल एरोमैटिक प्राइवेट लिमिटेड - स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं का संवर्धन।

4.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स गोपाल एरोमैटिक प्राइवेट लिमिटेड के स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य को 16.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 172.75 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

(5) नियोक्राफ्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना।

5.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स नियोक्राफ्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के 'इलेक्ट्रिक स्पेस हीटिंग उपकरण (इलेक्ट्रिक हीटर) (85162900) के निर्माण' को अधिकृत कार्यों में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालाँकि, यह अनुमोदन प्रस्तावित वस्तु की वार्षिक उत्पादन क्षमता और उत्पाद के निर्यात बाजार सहित इसके निर्यात के लिए व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(6) ग्लोबल डेंट एड्स प्राइवेट लिमिटेड - यूनिट-1 और यूनिट-2 के कर्मचारियों के लिए एक कॉमन क्रेच सुविधा स्थापित करने की अनुमति हेतु अनुरोध।

6.1 हमें सूचित किया गया कि इकाई ने प्लॉट संख्या 91 (यूनिट 2 भी इसी प्लॉट पर साझा करने पर काम कर रही है), 173, 174, 175, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में स्थित अपनी दोनों इकाइयों के लिए प्लॉट संख्या 91 के भूतल पर एक सामान्य शिशु-गृह स्थापित करने की अनुमति मांगी है। यह कमरा उत्पादन क्षेत्र के बाहर, विशेष रूप से भवन के दाहिने कोने में स्थित होगा और इसका आकार लगभग 7 फीट x 15 फीट होगा।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स ग्लोबल डेंट एड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें प्लॉट संख्या 91, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में दोनों इकाइयों के लिए एक सामान्य क्रेच स्थापित करने का प्रस्ताव था। यह निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 और मामले में अन्य लागू प्रावधानों के अनुपालन के अधीन था।

2
[Signature]

(7) विद्या मंत्र एडुसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड - निदेशक एवं शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन।

7.1 यह सूचित किया गया कि आवेदन में कमियाँ पाई गई हैं और इकाई को फ़ाइल/कार्यसूची नोट में उल्लिखित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन पर ध्यान दिया। हालाँकि, अनुमोदन फ़ाइल/कार्यसूची नोट में उल्लिखित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन है।

(8) आर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - आईटीसी (एचएस) 2203 से 2208 के अंतर्गत शराब के भंडारण की स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करना।

8.1 अनुमोदन समिति ने उच्च शुल्कों के संदर्भ में उत्पाद की संवेदनशीलता, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के संबंध में मूल्यांकन में चुनौतियों और परिवर्तन के खतरे को ध्यान में रखते हुए कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद, इसने निर्देश दिया कि नई इकाइयों के लिए शराब के भंडारण की अनुमति देने हेतु निम्नलिखित कुछ मानदंडों पर विचार किया जाए:

- i. व्यवसाय की लाइन में इकाई का अनुभव?
- ii. क्या इकाई केवल एसईजेड में भंडारण में लगी हुई है या भंडारण संचालन स्वीकृति पत्र (LOA) में मौजूद विनिर्माण/व्यापार/सेवा संचालन के अतिरिक्त हैं?
- iii. क्या इकाई एक आईओ लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर है,
- iv. क्या इकाई को स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा प्राप्त है,
- v. क्या राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में ऐसे शिपमेंट के भंडारण और आपूर्ति की अनुमति उपलब्ध है,
- vi. क्या गोदाम के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा है;
- vii. इकाई का निर्यात कारोबार
- viii. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित किसी कानून और विनियमों का उल्लंघन किया गया है या क्या कोई जाँच/कार्रवाई लंबित है?

8.2: अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच करने और आईटीसी (एचएस) 2203 से 2208 के अंतर्गत शराब के भंडारण को फाइल पर मौजूद स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करने के लिए उचित निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(9) अजीत एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) की समीक्षा/नवीनीकरण और कार्यनिष्पादन की निगरानी

9.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि डीआरआई, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त और विकसित खुफिया जानकारी के आधार पर, यह संज्ञान में आया कि यह इकाई और इसके प्रवर्तक विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना के तहत प्रदान की गई सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए धातु स्कैप का निर्यात कर रहे थे, उसे सोने के आभूषण बताकर और नए, उच्च श्रेणी के सोने के आभूषणों का आयात करते समय उसे पुराने और अप्रचलित आभूषण बताकर कच्चे माल के रूप में गुप्त रूप से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि में स्थित विभिन्न पक्षों को भेज रहे थे। तदनुसार, इस कार्यालय द्वारा इकाई को दिनांक 30.04.2009 का एक एससीएन जारी किया गया और मेसर्स अजीत एक्सपोर्ट्स का स्वीकृति पत्र (LOA) 01/12/2009 को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा, निलंबन के दौरान स्वीकृति पत्र (LOA) 31/12/2013 को ही समाप्त हो चुका है।

9.2 यह भी बताया गया कि मेसर्स अजीत एक्सपोर्ट्स का साझेदार भी कथित तौर पर कुछ अन्य नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) इकाइयों के मामलों में शुल्क मुक्त आयातित सोने और सोने के आभूषणों के डायवर्जन की अवैध गतिविधियों में शामिल पाया गया है।

9.3 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ।

9.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को सुनवाई का एक और अवसर देने का निर्णय लिया और विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को फाइल पर मौजूद 30.04.2009 के एससीएन के निर्णय के लिए इकाई को व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार दिया।

अनुपूरक कार्यसूची पर निर्णय

(10) ट्राइडेंट कॉर्पोरेशन - आईटीसी अध्याय 08 के अंतर्गत वस्तुओं के भंडारण और आईटीसी (एचएस) 2203 से 2206, 2208 और 2209 के अंतर्गत शराब को स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करना।

10.1 अनुमोदन समिति ने उच्च शुल्कों के संदर्भ में उत्पाद की संवेदनशीलता, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के संबंध में मूल्यांकन की चुनौतियों और डायवर्जन के खतरे को ध्यान में रखते हुए कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्देश दिया कि नई इकाइयों के लिए शराब के भंडारण की अनुमति देने हेतु निम्नलिखित कुछ मानदंडों पर विचार किया जाए:

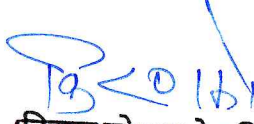
- i. इकाई का व्यवसायिक अनुभव क्या है?
- ii. क्या इकाई केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में भंडारण में लगी हुई है या भंडारण कार्य स्वीकृति पत्र (LOA) में मौजूदा विनिर्माण/व्यापार/सेवा संचालन के अतिरिक्त हैं?
- iii. क्या इकाई आईओ लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर है?
- iv. क्या इकाई को स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा प्राप्त है?
- v. क्या घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में ऐसे शिपमेंट के भंडारण और आपूर्ति के लिए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से अनुमति उपलब्ध है?
- vi. क्या भंडारण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा है?
- vii. इकाई का निर्यात कारोबार?
- viii. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित किसी कानून और नियमों का उल्लंघन किया गया है या कोई जाँच/कार्रवाई लंबित है?

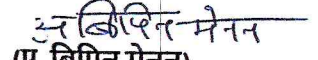
10.2: अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच करने और फाइल में मौजूद स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करने के लिए उचित निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(11) हनंग टॉयज़ एंड टेक्सटाइल्स लिमिटेड, प्लॉट संख्या 108, 109, 110, 111 और 125, एनएसईजेड - स्वीकृति पत्र (LOA) के पुनरुद्धार/नवीनीकरण और संशोधन के लिए आवेदन - एनसीएलटी के दिनांक 28/02/2024 के आदेश के अनुसार।

11.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को अधिकृत संचालनों अर्थात् आईटी/आईटीईएस और उनके सीपीसी कोड के विवरण के साथ पूरी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आगे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम 72 के तहत अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचारार्थ स्वीकृति पत्र (LOA) के पुनरुद्धार/नवीनीकरण, अधिकृत संचालन में संशोधन के प्रस्ताव की सिफारिश की। अनुमोदन समिति ने यह भी निर्णय लिया कि 'वस्त्र व्यापार' के लिए अनुमति देने के प्रस्ताव पर इकाई द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले प्रस्तावित परिसर में पड़े पुराने स्टॉक की निकासी तक ही विचार किया जाएगा। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग को यह भी निर्देश दिया कि आवेदक इकाई से अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने के बाद, प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड को पूरे तथ्यों और अनुमोदन समिति की सिफारिशों के साथ अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामले पर आगे विचार के लिए भेजा जाए।

बैठक अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(किरण मोहन मोहादिकर)
उप विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त